न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–रामजस विश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद इस्तकरार हक खातेदारी घोषणा, दुरूस्ती रेकर्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा

संख्या :– 135/2004

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. खेराजराम पुत्र रामूराम के कायम मुकाम 1.1 भंवरसिंह पुत्र स्व. खेराजराम 1.2 पतराम पुत्र स्व. खेराजराम 1.3 मदनलाल पुत्र स्व. खेराजराम 1.4 शिवनारायण पुत्र स्व. खेराजराम 1.5 जंवरीलाल पुत्र स्व. खेराजराम 1.6 जगदीशप्रसाद पुत्र स्व. खेराजराम 1.7 जसकरण पुत्र स्व. खेराजराम 1.8 हस्तू पुत्री स्व. खेराजराम 1.9 जेता पुत्री स्व. खेराजराम 1.10 लक्ष्मी पुत्री स्व. श्री खेराजराम 2. बीरबलराम पुत्र रामूराम 3. हजारीराम पुत्र रामूराम सभी जातियान बिश्नोई, निवासीगण कंवलीसर तह0 व जिला नागौर।	1. हड़मानराम पुत्र हरकरण 2. रामावतार पुत्र हरकरण 3. ओमप्रकाश पुत्र हरकरण जातियान ब्राह्मण निवासीगण हाथी चौक नागौर। 4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

वकील वादीगण
श्री भंवरलाल चौधरी,

वकील प्रतिवादीगण
श्री रामेश्वरलाल,

निर्णय

दिनांक :– 18/11/2020

1– (1) वदीगण की ओर से एक वाद पेश किया कि साबिक सेटलमेट क्षेत्र खसरा नम्बर 81 रकबा 112–15 बीघा मौजा भदाणा की 65–14 बीघा भूमि जिसके हाल खनं. 108 रकबा 31–16 बीघा व 109 रकबा 33–18 बने हैं वाके मौजा भदाणा पर सम्वत 2002 की साल से ही प्रतिवादीगण के पिता डोलीदारान ने वादीगण के पिता स्व. श्री रामूराम को बतौर अपने टिन्नेट के प्रविष्ठ करवा लिया और वादीगण के पिता स्व. श्री रामूराम जी इस विवादित भूमि पर बतौर टिनेंट के काबिज हो कर काश्त करने लग गये थे और हासिल प्रतिवादीगण के पिता डोलीदारान को अदा करने लग गये थे। इस प्रकार वादीगण के पिता को तत्कालीन मारवाड टिनेन्सी एक्ट के अनुसार हक हकूक खातेदारी हासिल हो

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

गये थे। मगर साबिक सेटलमेट में पर्चा लगान प्रतिवादीगण के पिता वगैरा के पक्ष में गलत जारी हो गया, फिर भी वादीगण के पिता इस विवादित भूमि में बतौर टिनेट के बदस्तूर काबिज रहते चले आये और लगान अदा करते चले आये।

1– (2) सम्वत 2012 की साल में राजस्थान टिनेसी एक्ट प्रभाव में आया और इस विवादित भूमि पर काश्त करसण कब्जा, वादीगण के पिता का वरवक्त लागू होने टिनेसी एक्ट और उसके पूर्व व उसके पश्चात् भी लगातार रहता चला आने से और यह कब्जा काश्त भी बतौर एडमिटेड टिनेंट होने से कानूनी तौर पर इस कानून के प्रभाव से भी हस्ब धारा 15 व 19 वादीगण के पिता को इस विवादित भूमि के हक हकूक खातेदारी कायम हो चुके थे और रहते चले आये थे और वरवक्त रिज्यूम होने डोलीदारी जागीर के भी काश्त करसण वादीगण के पिता का होने से वे इस भूमि के निर्विवाद काबिज खातेदार हो चुके थे और रहते चले आये।

1– (3) हाल सेटलमेट में सेटलमेट कर्मचारियों ने विवादित भूमि अलग सीमाओं से आबद्ध होने से अलग खेताय तो कायम कर दिये मगर इनकी खातेदारी हाल सेटलमेट में प्रतिवादीगण के नाम से ही गलत दर्ज कर दी गई फिर भी काश्त करसण कब्जा वादीगण के पिता का बिना किसी रोकटोक के आबाद एवं निरन्तर रूप से रहता चला आया और वादीगण के पिता के काश्त करसण कब्जा में पहले प्रतिवादीगण की ओर से कोई दखलदांजी नहीं की गई जिससे उसका ध्यान रेकर्ड की गलत इन्द्राजी की तरफ नहीं गया और अपना काश्त करसण, कब्जा बदस्तूर कायम रखते चले आये जिसकी पुष्टि गस्त गिरदावरी जो सम्वत 2006 से नकले उपलब्ध हुई हैं, उससे होती हैं।

1– (4) हाल सेटलमेट के पर्चे में इन विवादित खेताया का इन्द्राज प्रविादीगण के पक्ष में गलत हो जाने से उनकी नियत में लोभ आया और प्रतिवादीगण के पिता हरकरण ने वादीगण के पिता के विरूद्ध मुतदाविया खेताय हाल ख.नं. 108 व 109 का भी कब्जा प्राप्त करने के लिए दावा अधीन धारा 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अदालत सहायक कलक्टर नागौर के समक्ष पेश किया जो दावा उपरोक्त तथ्यों की रोशनी में दिनांक 30.03.1972 को खारिज किया गया जिसके अपील भी प्रतिवादीगण की ओर से की गई जो राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के द्वारा 17.11.1973 को खारिज हो गई और इस तरह से वादीगण के पिता का और इसकी वफात के बाद वादीगण का खुद का काश्त करसण कब्जा इन मुतदाविया खेताय पर अबाध व निरन्तर रूप से रहता चला आया हैं और हैं।

1– (5) कि मुतदाविया खेताय अभी तक अधिकार अभिलेखों में प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में गलत दर्ज रह गये हैं जिससे अभी हाल ही में 15 दिन पूर्व ही

सहायक कलक्टर (प.)
नागौर

प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण को खुली धमकी दी गई कि वे इन मुतदाविया खेताय के बैचान की रजिस्ट्री किसी नागे झगड़ालू आदमी के नाम करवा देगें जो वादीगण को बेदखल कर देगा जिससे वादीगण के हकुक के खतरे छा गये हैं और इन परिस्थितियों में वादीगण के लिए अपने हक हकूक खातेदारी की घोषणा करवाया जाकर रिकार्ड की दुरूस्ती करवाना और प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना आवश्यक हो गया जिससे यह दावा घोषणा खातेदारी दुरूस्ती रेकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी हुआ हैं।

1– (6) यह है कि बिनाय दावा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण मुतदाविया खेताय की भूमि पर वादीगण के पिता का काश्त करसण कब्जा, सम्वत 2002 की साल से लगातार अबाध व निरन्तर रूप से बतौर टिनेंट के रहता चला आने से और उनको मारवाड टिनेन्सी एक्ट एवं सम्वत 2012 की साल में प्रभावशील हुए राजस्थान टिनेसी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार हक हकूक खातेदारी कायम होते हुए भी हाल सेटलमेंट खोतदारी प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज हो जाने से और उनकी ओर से बाद में धारा 183 रा0टि0एक्ट के तहत किया गया बेदखली का दावा भी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर खारिज हो जाने से और उनकी अपील भी दिनांक 17.11.73 को खारिज हो जाने से और काश्त करसण वादीगण का बतौर खातेदार लगातार अबाध व निरन्तर रूप से है, रहता चला आने से और अभी 15 दिन पूर्व ही प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण को यह धमकी दी जाने से कि वे इस खेत को किसी नागे आदमी को बैचान की रजिस्ट्री करवा कर वादीगण को बेदखल करवा देगा। वादीगण के हकूकों पर खतरे के बादल छा जाने से बमुकाम भदाणा तहसील नागौर अन्दर हद व अखित्यार समायत अदालत वाला पैदा हुआ।

1– (7) जिहाजा इस्तदुआ वादीगण हैं कि डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती रेकर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा की सादिर फरमाई जाकर खेताय ख.नं. 108 रकबा 31–16 बीघा व 109 रकबा 33–18 बिघा वाके सरहद मौजा भदाणा को एक मात्र वादीगण के संयुक्त व हिस्सा बराबर तनहा कब्जे काश्त व खातेदारी के खेताय होने की घोषणा की जाकर सम्पूर्ण राजस्व रेकड व अधिकार अभिलेखों में आवश्यक दुरूस्ती अमल दरामद करवाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरयि स्थाई निषेधाज्ञा हम वादीगण के काश्त करसण कब्जा खातेदारी में किसी तरह की दखलदांजी करने कराने से सदा के लिए रोकाया जावे।

2– दिनांक 16.03.93 को प्रथम बार वाद संख्या 09/1993 इस न्यायालय में दायर हुआ, जो 09.10.2003 को इस न्यायालय द्वारा दोनों पक्ष की सुनवाई व साक्ष्य

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

के बाद वादीगण का वाद प्रस्तुत रेकर्ड से साबित नहीं होने से खारिज किया गया। जिसकी अपील राजस्व प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में वादीगण–अपीलांट द्वारा पेश की गई तथा अपीलीय न्यायालय की अपील संख्या 202/2003 अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट निर्णय दिनांक 09.08.04 से प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि " अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण सहायक कलक्टर नागौर को रिमाण्ड किया जाता हैं कि पक्षकारों की सुनवाई एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।" पुनः पत्रावली प्राप्त होने पर 13.10.2004 को प्रकरण संख्या 135/2004 दर्ज किया जाकर वकुलाय पक्षों को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया गया। सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बावजूद दोनों पक्षों द्वारा कोई नया रेकर्ड या गवाह सबूत पेश नहीं किये। दिनांक 16.05.2016 को प्रतिवादी संख्या 3 ओम प्रकाश की ओर से नया वकालतनामा वकील श्री रामेश्वरलाल की ओर से पेश हुआ। इसी प्रकार वादीगण की ओर से 24.02.2016 को नया वकालातनामा वकील श्री भंवरलाल चौधरी ने पेश किया। दिनांक 14.08.2020 को वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 22 नियम 3 सीपीसी एवं वादी खेराजराम के कायम मुकाम का वकालात नामा पेश किया। प्रार्थना पत्र की प्रति वकील प्रतिवादी को दी गई तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से दिनांक 19.10.2020 को संशोधित वाद शिर्षक पेश किया गया तथा वकील वादी द्वारा दिनांक 02.11.2020 को लिखित बहस पेश की गई। चूंकि अपीलीय न्यायालय में निर्देश हैं कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

3– अतः वाद के उल्लेख के बाद दिनांक 22.08.1996 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से पेश जवाबदावा का उल्लेख निम्नानुसार किया जाता हैं :–

3– (1) वाद पत्र के अनुच्छेद सं. 1 में वर्णित तथ्य सही नहीं होने से अस्वीकार हैं। गत भू–प्रबन्ध के ख.नं. 81 के भाग में वर्तमान भू–प्रबन्ध ख.नं. 108 व 109 ग्राम भदाणा अवश्य बने, लेकिन वादीगण का यह कथन असत्य हैं कि सम्वत् 2002 की साल से प्रतिवादीगण के पिता के वादीगण के पिता बतौर टिनेंट के काश्तकार थे, तथा लगान अदा करते रहे हैं। वादीगण का यह कथन भी असत्य हैं कि उनके पिता विवादित भूमि मारवाड़ टिनेसी अधिनियम तथा राज0 टिनेसी अधिनियम प्रभावशील हुआ तब बतौर प्रतिवादीगण के पिता के काश्तकार के काबिज थे तथा उनको वादग्रस्त खेतों पर कोई हित या अधिकार प्राप्त हो गये हैं।

3– (2) वादपत्र का अनुच्छेद सं. 2 में जिस प्रकार से तथ्यों का उल्लेख किया गया हैं गलत हैं, इसलिए अस्वीकार हैं। सम्वत 2012 से राज0 टिनेसी अधिनियम प्रभाव में अवश्यक आया परन्तु उस समय वादीगण का कब्जा व काश्त प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

के पिता के काश्तकार की हैसियत से नहीं था तथा यह भी गलत हैं कि वादीगण को धारा 15 व 19 राज0 टिनेसी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हो। वादीगण के पिता लगातार वादग्रस्त खेतों पर काश्त नहीं करते थे बल्कि प्रतिवादीगण के पिता को पूछकर कभी–कभी काश्त किया करते थे। सम्वत 2012 से 2015 तक वादीगण के पिता का वादग्रस्त खेतों पेर काश्त नहीं था इसलिए उनको वादग्रस्त खतों पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए।

3– (3) वादपत्र के अनुच्छेद 3 में वर्णित तथ्य सही नहीं होने से अस्वीकार हैं। प्रतिवादीगण के पिता के नाम से वर्तमान भू–प्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा वादग्रस्त भूमि की खातेदारी सही रूप से दर्ज की गई। वादीगण का यह कथन अस्वीकार हैं कि उसके पिता का वादग्रस्त खेतों पर कब्जा बिना किसी रोकटोक के अबाध रूप से व निरन्तर रूप से रहता चला आया हैं। यह भी गलत हैं कि वादीगण के पिता को वादग्रस्त खेतों पर खातेदारी अधिकार मिल गये हो। गिरदवारी में जो इन्द्राज पहले हो गये हैं, वे सही नहीं हैं। ऐसा मालूम पड़ता कि वादीगण ने पटवारी अथवा अन्य व्यक्तियों से मिलावट कर गलत इन्द्राज करवा लिये जिनसे कोई अनुतोष वादीगण पाने के अधिकारी नहीं हैं।

3– (4) वाद के अनुच्छेद सं. 4 में वर्णित तथ्य सही नहीं हैं इसलिए अस्वीकार हैं। वर्तमान भू–प्रबन्ध द्वारा पर्चा लगान सही रूप से प्रतिवादीगण के पिता के नाम से जारी किया गया हैं। अलबता प्रतिवादीगण के पिता द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर नागौर के समक्ष राजस्व वाद अधीन धारा 183 अवश्यक किया था तथा उसका निर्णय उनके विरूद्ध भी हुआ था जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां की थी, परन्तु उक्त अपील के लम्बित होते हुए वादीगण या उनके पिता ने प्रतिवादीगण के पिता से आपसी सहमति करके वादीगण व उनके पिता ने वादग्रस्त खेतों से अपना कब्जा हटाकर प्रतिवादीगण के पिता का कब्जा करवा दिया, इसलिए उक्त अपील का कोई कारण नहीं रहा, उस कारण से उक्त अपील प्रतिवादीगण के पिता की अनुपस्थिति में खारिज हो गई। उपरोक्त परिस्थितियों में अपील खारिज होने का प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई प्रभाव नहीं हैं। इसके बाद वादीगण ने कभी–कभी प्रतिवादीगण के पिता व प्रतिवादीगण से अनुमति लेकर काश्त अवश्यक की हैं तथा यह वाद किया उससे पूर्व जब भी वादीगण ने वादग्रत खेतों पर काश्त की हैं तो प्रतिवादीगण की अनुमति से की हैं। इस वाद के कारण से वादीगण का प्रतिकूल कब्जा अवश्य प्रकट होता नहीं हैं, जिससे वादीगण को कोई अधिकार पैदा नहीं होता।

3– (5) वादग्रस्त का अनुच्छेद सं. 5 गलत हैं। इसलिए अस्वीकार हैं। वादग्रस्त खेतों बाबत राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादीगण का नाम बतौर खातेदारी सही दर्ज

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

किया हुआ हैं। वादीगण का यह कथन झूठा हैं कि प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण को कोई धमकी दी गई हैं। प्रतिवादी सं0 1 व 2 तो मम्बई में रहते हैं तथा वाद किया तब व उससे साल भर पूर्व तक भी प्रतिवादी सं0 1 व 2 नागौर अथवा ग्राम भदाणा आये ही नहीं इसलिए उनकी ओर से धमकी देने का कथन मात्र बनावटी व झूठ हैं। प्रतिवादीगण सभी व्यापारी हैं, वह शांतिपूर्ण अपना व्यवसाय करते हैं। वादीगण का यह कथन कपोल कल्पित हैं, व झूठा हैं कि प्रतिवादीगण झगड़ालू प्रवृति के हैं तथा वे ऐसा कहते हैं कि वे किसी झगड़ालू आदमी के नाम खेतों का विक्रय करवा देगें। यद्धपि प्रतिवादीगण को उपरोक्त खेतों को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार हैं तथा वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कभी भी वादग्रस्त खेतों का किसी के हक में विक्रय कर सकते हैं। वादीगण का यह वाद केवल कपोल कल्पित व झूठे तथ्यों पर आधारित हैं, जो निरस्त होने योग्य हैं।

3– (6) वाद का अनुच्छेद 6 गलत हैं व अस्वीकार हैं। वाद पत्र के इस अनुच्छेद में वर्णित तथ्यों के आधार पर किसी प्रकार का वाद हेतु वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध पैदा नही हुआ।

3– (7) वाद पत्र का अनुच्छेद सं. 8 गलत हैं, इसलिए अस्वीकार हैं। वादीगण वादपत्र के इस अनुच्छेद में वर्णित घोषणा खातेदारी अथवा दुरूस्ती रेकर्ड अथवा स्थाई निषेधाज्ञा के किसी प्रकार के अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध पाने के अधिकारी नहीं हैं। वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किये जाने योग्य हैं जिसे सव्यय निरस्त किया जावे।

4– वादीगण के वाद व प्रतिवादीगण के प्रतिवाद के आधार पर दिनांक 26.02.2002 को निम्नांकित तनकियात कायम की गई :–

1. आया खेत ख.नं. 108 रकबा 31 बीघा 16 बिस्वा तथा ख.नं. 109 रकबा 32 बीघा 18 बिस्वा भदाणा वादीगण के पिता रामूराम को डीलीदार ने बतोर टिनेट सम्वत 2002 में प्रवेश कराया इसलिए वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। – जिम्मे वादी
2. आया प्रतिवादीगण के पिता हरकरण ने वादीगण के पिता के विरूद्ध कब्जा का वाद सहायक कलक्टर नागौर में पेश किया जो दिनांक 30.03.72 को खारिज हो गया। – जिम्मे प्रतिवादी

5– (1) वादी ने P.W. 1 स्वयं वादी खेराजराम के बयान दिनांक 04.04.2002 को करवाये जिससे वादीने बताया कि हम वादीगण तीन सगे भाई है, बड़ा खेराजराम, उससे छोटा बीरबलराम, हजारी राम हैं। प्रतिवादीगण हड़मानराम, रामावतार व ओमप्रकाश को जानता हूँ, जो हरकरण के लड़के हैं। हमारे खेत

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

विवादग्रस्त भदाणा की कांकड़ में आया हुआ हैं। एक खेत 33–15 बीघा व 31–15 बीघा हैं एक का खसरा नं. 108 व 109 हैं। हमें इन खेतों का हरकरण से सम्वत 2002 की साल में बोने के लिए लिये थे। हमने ये खेत हिस्से पर व बीगोड़ी पर लिये थे। सम्वत 2002 से आज तक इन खेतों को हम ही बोते आये हैं। हमारे लेने के बाद में कभी हरकरण व उसके लड़कों ने नहीं बोया। खेतों की बीगोड़ी मैं देता था, अब बिगोड़ी बंद हैं। दावा किया ने हरकरण ने दावा किया सम्वत 2021 व 2022 में किया था, जिसको करीबन 32 साल हो गये। उस दावे में हमको फैसला मिल गया था। उस फैसले की अपील हरकरण ने जोधपुर में की थी, वो अपील हरकरण की खारिज हो गई। अपने खेतों के दस्तावेज पेश किये हैं। नकल जमाबंदी सम्वत 2046 से 2049 Exp-1 हैं, गिरदावरी 2010 से 2013 Exp-2 हैं। नकल गिरदावरी सम्वत 2014–17 Exp.-3 हैं। मिलान क्षेत्रफल Exp.-4 हैं। नकल फैसला राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर Exp.-5 हैं। नकल फैसला सहायक जिलाधीश नागौर Exp.-6 है व फैसला 30.03.72 का हैं। नकल गिरदावरी 2030 से 2033 Exp.-7 है। वाद के अनुसार डिक्री किया जावे। जिरह वकील प्रतिवादी दिनांक 04.05.2002– सम्वत् 2002 में हरकरण जी से वादग्रस्त खेत काश्त करने हेतु लिये उसकी लिखापढी मेरे पास थी, जो बाढ का पानी ढाणी में आने से गल गई। हमने कही पर भी यह लिख कर नहीं दिया। यह बात गलत हैं कि मेरे पास कोई लिखा पढी नहीं हो। लिखापढी बही में थी। लिखा पढी स्टाम्प के पन्ने पर भी की हुई थी। कागदों में पट्टे वगैरहा नष्ट हो गये। कुछ उँचे थे, वो बच गये। ढाणियां पानी में आ गयी थी। इन खेतों के और कोई कागज नष्ट नहीं हुए। अदालत का फैसला कहीं उपर रखा हुआ वो बच गया। स्टाम्प फैसले के साथ में उपर रखा था। यह गलत हैं कि मैं स्टाम्प होने की बात गलत कहता हो। स्टाम्प सम्वत 2002 के साल का था। स्टाम्प कितने का था मुझे ध्यान नहीं, वो मेरे पिताजी के समय का था। स्टाम्प हरकरण जी के हाथ का लिखा हुआ थ। दावे में यह बात लिखा हुआ हो या नहीं कि स्टाम्प हरकरण जी ने लिखा हो वो नष्ट हो गया हो। मुझे पता नहीं है। सरकार को तथा हरकरण जी को जो रूपये दिये उनकी रसीदें मेरे पास नहीं हैं, क्योंकि पानी में गल गई। यह बात गलत हैं कि मैंने सरकार में रूपये जमा नहीं कराये हो। बिगोड़ी के रूपये मेरे पिता जी जमा कराते थे, कितने रूपये जमा कराते मुझे पता नहीं। मेरे पिताजी सम्वत 2045 में गुजर गये थे। सम्वत 2045 के बाद में सरकार को बिगोड़ी इसलिए नहीं दी थी, बिगोड़ी बन्द हो गई थी। मेरे पिता ने सरकार को बिगोड़ी पटवारी को जमा कराई थी। पटवारी इनाणा का चौधरी था। मेरे सामने कौनसी साल में बिगोड़ी जमा कराई मुझे ध्यान नहीं हैं। मेरे पिता ने 7, 8 साल की बिगाड़ी शामिल एक साथ ही जमा कराई थी। पिताजी गुजरे उसके चार पांच साल पहले बिगाड़ी जमा कराई थी। उस वक्त

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

400 रूपये जमा कराये थे। वो चार सौ रूपये इन्हीं खेतों के थे। यह कहना गलत हैं कि हरकरण अपने जीवन काल में इन खेतों को खुद बोते हो। हरकरण कब गुजरा व कितने साल हो गये मुझे पता नहीं हैं। यह कहना गलत हैं कि विवादित खेताया हरकरण के खुदकाश्त के खेत हो। हरकरण ने पहले दावा किया था उसकी अपील की थी। यह कहना गलत हैं कि अपील के दौरान हमने हरकरण को कब्जा सौंप दिया हो। यह कहना गलत हैं कि हरकरण को कब्जा सौंप दिया हो और उसने अपील खारिज करवाई हो। यह कहना गलत हैं कि मेरे व हरकरण के आपस में प्रेम हो, वह हमे कभी–कभी खेत बोने के लिए देते हो। यह कहना गलत हैं कि साल दो साल के बाद में हम पुनः उनको कब्जा सौंप देते । यह कहना गलत हैं कि सम्वत 2010 से 2013 तक हमारा कब्जा इन खेतों पर नहीं हो। यह कहना गलत हैं कि गिरदावरी में हमने पटवारी से मिल कर पैंसिल से गलत इन्द्राज करवाया हो। यह कहना गलत हैं कि वर्तमान में इन खेतों पर हमारा कब्जा नहीं हो और ओमप्रकाश प्रतिवादी ने अलग–अलग व्यक्तियों को काश्त करने के लिए दिये हो।

5– (2) गवाह वादी P.W. 2 हरीराम पुत्र चंदाराम जाति विश्नोई उम्र 60 वर्ष पेशा खेती निवासी कंवलीसर ने अपने ब्यान दिनांक 04.05.02 में अंकित कराया कि मैं वादीगण खेराजराम वगैरहा को जानता हूँ। खेराजराम, बिरबलराम और हजारीराम ये तीन भाई हैं। विवादित खेताय भदाणा की कांकड़ में आया हुआ हैं, जो जानता हूँ। मेरा खेत इनके खेताय के एक खेत छोड़कर, जो इनका ही खेत हैं, एक छोड़ कर पूर्व में मेरा खेत आया हुआ हैं। वादीगण के यह खेत एक 31–15 बीघा व एक खेत 33–15 बीघा हैं। इन खेतों पर मैने अपनी समझ से वादीगकण को ही काबिज रहकर काश्त करते देखा हैं। मैं हरकरण व इनके बेटों को नहीं जानता हूँ। मैने इन खेतों को अपनी समझाइश से हरकरण व इनके बेटों को काश्त करते हुए नहीं देखा। खेराजराम के पिता का नाम रामूराम है। रामूराम के भाई का नाम चन्दाराम था। जिरह वकील प्रतिवादी पर गवाह ने बताया कि मेरा खेत भदाणा की कांकड़ में हैं। मेरे खेत के ख.नं. याद नहीं हैं। हमारा खेत 15–16 बीघा हैं। मेरे खेत का पट्टा वगैरा साथ लेकर नहीं आया हूँ। यह कहना गलत हैं कि मेरा खेत नहीं हो। खेराजराम मेरा भाई बंध लगता है। यह कहना गलत हैं कि वादग्रस्त खेत को पहले हरकरण बोता हो। यह कहना गलत हैं कि 29–30 साल पहले रामूराम ने यह खेताय हरकरण को सौंप दिया हो। यह कहना गलत हैं कि ओमप्रकाश अलग–अलग आदमियों को खेत काश्त करने के लिए देता हों। यह कहना गलत हैं कि मैं झूठे बयान देने आया हूँ।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

5– (3) गवाह वादी P.W. 3 रामरतन पुत्र जगमालराम जाति विश्नोई उम्र 80 वर्ष पेशा खेती, निवासी कंवलीसर ने अपने बयान दिनांक 26.08.02 में कहा कि "मैं पक्षकारों को जानता हूँ। विवादित खेत मौजा भादाणा की कांकड़ में करीब 65 साढे 65 बीघा को जानता हूँ। इस खेत के दो टुकड़े जो करीब 32 बीघा व दुसरा 34 बीघा का हैं। विवादित खेत के दक्षिण का मैं सींव जोड़ पड़ौसी हूँ। सम्वत 2002 में रामूराम ने यह डोली बोने को ली थी। पिछले करीब 57 वर्षो से इस खेत पर रामूराम का कब्जा काश्त रहा हैं। रामूराम के गुजरने के बाद रामूराम के बेटे खेराजराम, बीरबलराम व हजारीराम का कब्जा काश्त हैं। इस खेत की बीगोड़ी जब तक लगती थी, रामूराम देते थे। रामूराम मेरे साथ चल कर बिगोड़ी अदा की हैं। मैने विवादित खेत पर कभी हरकरण के लड़के हड़मान वगैरहा का कब्जा काश्त नहीं देखा था। वादग्रस्त खेत किसकी डोली के थे, मुझे पता नहीं। ब्राह्मणों की डोली के हैं जिन ब्राह्मणों की डोली थी, उन ब्राह्मणों को मैने कभी देखा ही नहीं था। ख.नं. मुझे ध्यान नहीं हैं। खेतों के नाम भदाणा वाले के नाम से बोलते हैं। ये दो खेत हैं जिसमें एक 32 बीघा व इसका खेत 33–10 बीघा का हैं। दोनों के बीच में माठे हैं। अभी कौनसा साल चलता हैं। मुझे ध्यान नहीं हैं। मेरे को पुरानी कुछ बातें याद रहती हैं। यह कहना गलत हैं कि मुझे बताई बातें याद रहती हैं। आज मैं अकेला गांव से आया था। मेरे पिछे खड़े उनका नाम बीरबलराम हैं। जो मेरे भाई बन्ध लगते हैं। हम एक ही साख जाति के हैं। मुझे इतला की कि आज बीरबलराम की पेशी हैं, इसलिए मैं आया हूँ। मुझे पता नहीं कि वादग्रस्त डोलीदारों के खुदकाश्त के खेत हैं। यह कहना गलत हैं कि रामूराम एक दो साल काश्त करते फिर छोड़ देते व फिर काश्त करते हो। यह मुझे पता नही वादीगण ने किससे काश्त करने लिए थे। वादीगण बिगोड़ी देते थे। बिगोड़ी सरकार में देते थे। यह कहना गलत हैं कि मैं सिखावे के कारण झुठे बयान देता हूँ।

5– (4) P.W. 4 गवाह भजनलाल पुत्र काछबाराम विश्नोई उम्र 50 वर्ष पेशा खेती निवासी कंवलीसर ने अपने बयान दिनांक 26.08.02 में अंकित करया कि "मैं पक्षकारान वादीगण को जानता हूँ। प्रतिवादीगण को मेने कभी नहीं देखा हैं। वादीगण के भदाणा वाले खेते, जो 65–10 बीघा हैं, को जानता हूँ। खेत के दो टुकड़े 33–15 व 31–15 बीघा करीबन हैं। मैं इन खेतों का उत्तर का सीमा जोड़ पड़ौसी हूँ। मैंने जब से समझ पकड़ी तब से रामूराम का कब्जा काश्त देखा हैं। रामूराम फौत हो चुका हैं। इन खेतों पर आज दिन खेराजराम, बीरबलराम, हजारीराम का कब्जा हैं। इन खेतों पर मैने कभी भी प्रतिवादीगण ब्राह्मणों का कब्जा काश्त नहीं देखा हैं। जिरह में कहा कि मेरा खेत भदाणा की कांकड़ में हैं। जिसका ख0नं0 मुझे याद नहीं हैं। मेरे खेत को भदाणा वाले खेत के नाम से बोलते हैं। मेरा खेत 120 बीघा हैं। यह गलत हैं कि वादग्रस्त

सहायक कलक्टर (प्र.)
नागौर

खेत के पड़ौस में हमारा खेत नहीं हैं। हमारे खेत के डोलीदार ब्राह्मण ही थे, मुझे याद नहीं हैं। वादग्रस्त खेत के डोलीदार ब्राह्मण ही थे। मुझे पता नहीं कि वादग्रस्त खेताय वादीगण ने डोलीदार से बिगोड़ी पर लिये या बन्टा पर लिये थे। मैने तो इनको काश्त करते देखा। हमारे व वादग्रस्त खेत डोलीदार के खुद काश्त के थे। मैं खुद काश्त का मतलब नहीं समझता हूँ। वादग्रस्त खेत डोलीदार के खुद काश्त के हो तो मुझे पता नहीं। मैं खुदकाश्त का अर्थ नहीं जातना हूँ। वादग्रस्त खेत दो टुकड़ों में हैं। आपस में काश्त करते हैं, इसलिए अलग–अलग खसरों की माठ नहीं हैं, बल्कि तीनों भाई काश्त करते हैं, इसलिए तीनों की अलग–अलग माठे हैं। ब्राह्मण पहले तो भदाणा में रहते थे, अब पता नहीं हैं। दोनो खेत में एक 33–15 दूसरा पता नहीं कितना हैं। कुल 65–10 बीघा हैं। यह गलत हैंकि वादग्रस्त खेताय को वादीगण बीच में साल दो साल छोड़कर बोते हो। यह गलत हैं कि फसल का बंट लेने ब्राह्मण हर साल आते हो। बीरबलराम मेरे जात के हैं व एक जात के हैं। हम दो तीन पीढी में भाई लगते हैं। यह गलत हैं कि मैं झूठे बयान देने आया हूँ।

6– इस न्यायालय के इसी वाद सं. 9/93 अनवान खेराजराम वगैरा बनाम हनुमानराम वगैरा निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2003 के विरूद्ध अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर में होने से अपील सं. 202/2003 अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट अनवान खेराजराम बनाम हड़मान राम निर्णय दिनांक 09.08.2004 से आदेश दिया कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण सहायक कलक्टर नागौर को रिमांड किया जाता हैं कि पक्षकारों को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पुनः वाद सं0 135/2004 पर दर्ज किया जाकर दोनो पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया। दोनो पक्षों ने लम्बे अर्से तक कोई नया साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किये अलबता दिनांक 16.05.16 को प्रतिवादी सं. 3 ओमप्रकाश की ओर से श्री रामेश्वरलाल अधिवक्ता ने नया वकालातनामा पेश किया, साथ ही वादीगण की ओर से दिनांक 24.02.16 को नया वकालातनामा श्री भंवरलाल चौधरी ने पेश किया। वादीगण की ओर से दिनांक 14.08.20 को प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का वादी सं. 1 खेराजराम के कायम मुकाम रेकर्ड पर लेने का पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रतिवादी को दी गई। यह प्रार्थना पत्र दिनांक 12.10.20 को बाद बहस स्वीकार किया गया तथा वकील वादी ने दिनांक 19.10.20 को संशोधित वाद शीर्षक पेश किये तथा दिनांक 02.11.20 को अपनी लिखित बहस पेश की गई तथा काश्तकारी अधिनियम के सुगंगत उद्धरण पेश किये।

7– हमने पत्रावली का गहन अध्ययन किया तथा इसमें दर्ज साक्ष्य व दस्तावेजों का गहराई से अवलोकन किया गया तथा मनन किया। यहां यह उल्लेखनीय हैं कि

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

प्रतिवादीगण ने पूर्व फैसले दिनांक 09.10.2003 से पूर्व तथा आज तक कोई मौखिक शहादत पेश नहीं की हैं। दिनांक 21.02.97 को बिगोडी की रसीदों को छाया प्रति पेश की गई हैं तथा इससे पूर्व दिनांक 22.08.96 को तीनों प्रतिवादियों ने उत्तर वाद पेश किया था। वाद के पैरा सं 4 के अनुसार प्रतिवांदीगण के पिता ने एक दावा वादीगण के पिता के विरूद्ध धारा 183 आर. टी.एक्ट का संख्या 3/1965 पेश किया जिसके अनवान हरकरण बनाम रामचंदिया–रामरतन हैं। इस दावे का फैसला दिनांक 30.03.1972 को बाद सुनवाई वर्तमान वादीगण के पिता के पक्ष हुआ था। इस निर्णय Exp.-6 के अंतिम पैरा में अंकित हैं कि " जैसा कि उपर दर्शाया गया हैं कि वादी ने अपने दावे की पुष्टि में यह साबित नहीं कर पाया कि दावे की दिनांक से 12 वर्षों से यह काबिज था और प्रतिवादीगण ने बतौर अतिक्रमी के उसे बेदखल किया। इसलिए वादी अपने जिम्मे की तनकीयात साबित नहीं कर पाया हैं। दोनों पक्षों की शहादत को पूर्व रूप से यही साबित होना पाया गया कि प्रतिवादीगण अतिक्रमी नहीं हैं। वादी कोई दादरसी पाने का अधिकारी नहीं रहता। वादी का दावा काबिल खारिज के करार दिया जाता हैं। आदेश :– "अतः वादी का दावा मय खर्चा खारिज किया जाता हैं। प्रतिवादी इस वाद का खर्चा वादी से 100/– रूपये पाने का अधिकारी होगा।" वाद के पैरा सं. 4 का जवाब प्रतिवादीगण ने दिया हैं कि उसके पिता ने अपने खिलाफ हुए फैसले की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर को की थी तथा वादी के पिता ने वादग्रस्त भूमि से कब्जा छोड़ दिया जिससे उसकी अपील अदम हाजरी में Exp.-5 खारिज हो गयी। इसके बाद वादीगण ने प्रतिवादीगण के पिता से अनुमति लेकर कभी कभी काश्त अवश्य की हैं।

8– वादीगण ने दावे के साथ जो जमाबंदी सम्वत 2046 से 2049 की खाता संख्या 453 की प्रमाणित प्रतिलिपि ग्राम भदाणा की Exp.-1 पेश की उसमें ख.नं. 108 रकबा 31–16 बीघा व 109 रकबा 33–18 बीघा के खातेदार हड़मान, रामओतार, ओमप्रकाश पिता हरकरण ब्राह्मण देह खातेदार हाल नागौर हाथी, चौक दर्ज हैं। इसी प्रकार ग्राम भदाणा की प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी सम्वत 2010–13 की Exp.-2 पेश की इसमें ख.नं. 81 रकबा 112–16 बीघा में कॉलम 5 (भूमि अधिकारी) में जयनारायण बेटो अम्बादत रो ब्राह्मण गांवरा डोलीदार तथा कॉ.नं. 6 (नाम उपकृषक) रामू पुत्र जेठा विश्नोई कंवलीसर रामरतन पुत्र जगमाल विश्नोई कंवलीसर दर्ज था जिसे काटा गया हैं। सम्वत 2010 व 2011 में 30 बीघा बाजरी की काश्त दर्ज हैं। उसी प्रकार गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपि Exp.-3 सम्वत 2014 से 2017, 2018, 2019 व 2020 के अनुसार सम्वत 2015 के कॉ.नं. 24 (विशेष विवरण) में रामू पुत्र जेठा विश्नोई चन्दीया पुत्र जेठा विश्नोई सा कवंलीसर दर्ज हैं। बाजरी 52–16 बीघा व मोठ 60 बीघा

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

काश्त दर्ज हैं। नकल गिरदावरी सम्वत 2016 व 2017 के कालम सं. 32 व 40 में रामुखुद, चन्दीयाखुद व बदस्तूर दर्ज हैं। सम्वत 2018 में कॉ.नं. 6 (नाम उपकृषक) में का. रामू बीसनोई का चन्दा बीसनोई सा. कंवलीसर बाजरी 52–16 बीघा व 15 बीघा की काश्त दर्ज हैं। सम्वत 2019 के का.नं. 6 (नाम उपकृषक) रामू विश्नोई का चन्दा विश्नोई बाजरी 56–16 बीघा दर्ज हैं। सम्वत 2020 के कॉ.नं. 24 में का रामू, चन्दा दर्ज हैं। सेटलमेंट विभाग के खसरा पत्रक ग्राम भदाणा Exp.-4 सम्वत 2015 में ख.नं. 108 रकबा 31–16 बीघा बाजरी 31–16 कॉ.नं. 11 में दर्ज है। कॉ.नं. 21 (नाम भोक्ता) हरनारायण पुत्र जयनारायण कौम ब्राह्मण डोलीदार को काट कर खालसा अंकित किया गया। इसी प्रकार कॉ.नं. 23 (नाम कृषक) वर्तमान रामू वल्द जेठा कौम विश्नोई सा0 कंवलीसर खुदकाश्त का कृषक 15 साल को गोल घेरा से काट कर हरनारायण वल्द जैनारायण कौम ब्राह्मण नागौर खातेदार किया गया हैं। ऐसा दोनो खसरों के सामने किया गया। कॉ0नं0 24 (नाम उपकृषक) में ख.नं. 109 के सामने " रामू पुत्र जेठा कौम विश्नोई ख.नं. 108" दर्ज हैं। नकल खसरा गिरदावरी प्रमाणित प्रति सम्वत 2030 से 2033 ग्राम भदाणा ख.नं. 108 रकबा 31–16 बीघा व 109 रकबा 33–18 बीघा Exp.-7 के कॉ.नं. 6 (नाम उपकृषक) में हरकरण पुत्र जयनारायण ब्राह्मण सा0 देह खातेदार दर्ज हैं। सम्वत 2031 के कॉ0नं. 24 में रामू पुत्र जेठा विश्नोई सा0 कंवलीसर काश्त क्रमशः बाजरी 15 बीघा व बा. मोठ 16 बीघा दर्ज हैं। सम्वत 2033 के का0नं 32 में काश्त रामू पुत्र जेठा विश्नोई मोठ 15 बीघा , बा0 10–00 बीघा ख.नं. 108 के सामने दर्ज हैं। ख.नं. 109 के सामने रामू पुत्र जेठा विश्नोई मोठ 33–18 बीघा दर्ज हैं।

9– वाद की तनकी सं. 1 आया खेत ख.नं. 108 रकबा 31–16 व ख.नं. 109 रकबा 33–18 बीघा भदाणा वादीगण के पिता रामूराम को डोलीदार ने बतौर टिनेंट सम्वत 2002 में प्रवेश कराया, इसलिए वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये? का परीक्षण वादीगण के बयान के आधार पर किया जाने पर पाया कि वादी खेराजराम ने अपने स्वयं के बयान में P.W. 1 में स्पष्ट अंकित किया हैं, कि उनके पिता ने वादग्रस्त भूमि को सम्वत 2002 में हरकरण से बोने लिया था। सम्वत 2002 से आज तक इन खेतों को वो ही बोते हैं। हमारे लेने के बाद कभी हरकरण या उनके लड़कों ने नहीं बोया। गवाह अपने बयानों से वकील प्रतिवादी की जिरह में भी यही बात दोहराता हैं कि वादग्रस्त भूमि उन्हों प्रतिवादीगण के पिता से सम्वत् 2002 में ली थी स्टाम्प पर लिखापढी भी हुई लेकिन बाढ में गल गई। जबतक लगती थी, बिगाडी हरकरण को नहीं देकर पटवारी के पास मेरे पिता जमा कराते थे। गवाह P.W. 2, 3 व 4 ने जैसा कि उपर वर्णित किया जा चुका हैं, ने अपने बयानों में इस विवादग्रस्त भूमि पर काश्त करते वादी व उससे पहले वादी के पिता को ही देखा हैं। प्रतिवादीगण व

सहायक कलेक्टर (मु.)
नागौर

उनके पिता हरकरण को ने इन खेतों पर कभी काश्त करते हुए नहीं देखा हैं। वादीगण ने जो नकल गिरदावरी व खसरा पत्रक पेश किये हैं। उसमें वादीगण के पिता का नाम दर्ज हैं जिसका उल्लेख पूर्व में विस्तृत रूप से किया जा चुका हैं। इससे यह पूर्ण रूप से साबित हैं कि वादगस्त भूमि पर वादी व उसके पिता का कब्जा काश्त सम्वत 2002 से निर्बाध रूप से चला आ रहा हैं। जो राजस्व अभिलेख वादीगण ने पेश किय हैं उसके अनुसार राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के पिता के नाम डोलीदार के रूप में दर्ज थी। जागीरदार व डोलीदार के खुद काश्त की भूमि के अलावा शेष भूमि जागीर उन्मूलन एक्ट 1952 लागू होने से जिन पर अन्य का काई अधिकार व कब्जा नहीं था, सरकारी भूमि हो गई, लेकिन वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के सम्वत 2002 अर्थात 1945 में ही डोलीदार द्वारा काश्त करने हेतु दे देने से टिनेसी एक्ट 1955 की धारा 15 के तहत वादीगण के पिता खातेदार काश्तकार हो गये। राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 2 (एच) "जागीर भूमि" में अनुसूचि प्रथम के अनुसार डोली की भूमि शामिल हैं। जहां तक सम्वत 2002 में एक काश्तकार की हैसियत से वादीगण के पिता को प्रतिवादीगण के पिता द्वारा भूमि में प्रवेश देने का प्रश्न हैं, इस सम्बन्ध में न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं प्रथम श्रेणी दण्डनायक, नागौर के रेवन्यू वाद सं0 3/65 निर्णय दिनांक 30.03.72 Exp.-6 में अंकित हैं कि "प्रतिवादी ने सम्वत 2012 में अतिक्रमण कर लिया और सम्वत 2019 में प्रतिवादी रामरतन का भी कब्जा करा दिया। वादी का यह कहना कि पहले वह काबिज था, परन्तु प्रतिवादीगण ने उसे बेदखल कर दिया।" प्रतिवादी रामू, चन्दा का उत्तर वाद हैं कि "उन्हे डोलीदार ने सम्वत 2002 के आस पास विवादग्रस्त आराजी काश्त के लिए दिया। डोलीदार ने उससे बिगोडिया ली हैं। प्रतिवादगण का तब से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्थान टिनेंसी एक्ट के प्रवावशील होते ही प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार हो चुके हैं। इसके अलावा प्रतिवादीगण का यह भी उजर हैं कि वादी का दावा मयाद बाहर हो चुंका है। वादी को काई टाइटल नहीं रहता। वादी का दावा अधीन धारा 183 रा0टि0एक्ट काबिल चलने के नहीं हैं। वादी के गवाहान के कथन के विवेचन से यही नतीजा निकलता हैं कि वादी का यह कहना कि सम्वत 2012 में उसे प्रतिवादीगण ने बेदखल कर दिया, कतई असत्य जान पड़ता हैं। वादी के उक्त शहादत के मुकाबले में प्रतिवादीगण रामू व रामरतन पेश हुए तथा अन्य गवाह शिवलाल, भंवरलाल, बंशी राधाकिशन व गणेशसिंह के कथन भी कराए हैं। प्रतिवादीगण ने भी दस्तावेजी सबूत में रसीदात बिगोडी ई एक्स ए. 1 से ई एक्स ए-9 तथा गिरदावरी सम्वत 2006 से 2018 ई एक्स ए 10 ई एक्स ए 13 की पेश की हैं। प्रतिवादी रामू एवं रामरतन उतरवाद की ताईद करते हैं कि दोनों पक्षों की उपरोक्त दस्तावेजी व मौखिक शहादत पर पूर्ण रूप से गौर करने

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

से यही नतीजा निकलता हैं कि वादी अपने वाद को संतोषजनक शहादत में साबित करने में कतई असमर्थ रहा हैं, इसके विपरीत प्रतिवादीगण की शहादत से यह साबित होता हैं कि जयनारायण डोलीदार ने प्रतिवादी रामू रामरतन को सम्वत 2002 में विवादग्रस्त खेत काश्त करने के लिए देने से निकलता हैं कि वादी दावा करने की दिनांक से 12 सालों के अन्दर–अन्दर काबिज नहीं था।" उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता हैं कि वादीगण के पूर्वज रामूराम को प्रतिवादीगण के पूर्वज हरकरण–जयनारायण ने जो एक डोलीदार थे विवादग्रस्त भूमि काश्त के लिए सम्वत 2012 से पहले दी थी तथा डोलीदार इनसे इसके बदले बिगाडी भी लेते थे, भूमि जोतने के लिए देने का डोलीदार को अधिकार भी था क्योंकि आर.टी.एक्ट के तहत डोलीदार की भूमि भी "जागिर भूमि" की परिभाषा में आती हैं। भूमि सहमति से देने से उनके डोलीदार के अधिकार समाप्त हो गये तथा राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत निरन्तर कब्जा होने से वादीगण को खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गये हैं।

10– इस वाद की तनकी नं0 2 आया प्रतिवादीगण के पिता हरकरण ने वादीगण के पिता के विरूद्ध कब्जा का वाद सहायक कलक्टर नागौर किया जो 30.03.72 को खारिज हो गया तथा अपील राजस्व अधिकारी जोधपुर के यहां 17.11.73 को खारिज हो गई, इसलिए कब्जा काश्त लगातार वादीगण का हैं। यह तनकी रेकर्डेड हैं तथा वादी ने अपने बयानों के दौरान Exp.-5 राजस्व अपील अधिकारी का फैसला व Exp.-6 सहायक कलक्टर, नागौर के फैसले को प्रदर्शित कराया हैं। दोनों फैसले इस तनकी को वादी के पक्ष में पूर्ण रूप से साबित करने के पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में मौजूद हैं। अतः तनकी सं. 2 वादीगण के पक्ष में पूर्णतया प्रमाणित हैं।

11– अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम भदाणा के ख.नं. 108 रकबा 31–16 बिघा एवं 109 रकबा 33–18 बीघा के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा तदनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा इस असर की जारी की जाती हैं कि वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण दखलदान्जी नहीं स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करवाये। डिक्री पर्चा जारी हो। वाद खर्चा वादीगण व प्रतिवादीगण अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 18/11/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(रामजस विश्नोई)
आर.ए.एस.(मु.)
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर